(नमूना काविले करोक्त)

सम्मन वास्ते कारारवाद उमूर तनकही तलब

(आर्डर कायदा 1 व 5)

न्यायालय जिला

मुकद्मा वादी

प्रतिवादी

हरगाह के आपके नाम एक नलिश बाबत

के दायरे की है, कि लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख माह सन् २०० ई० बवक्त बजे दिन के असाचलन या मार्फत वकील के जो मुकद्मे के हलात से करार वकाई वाकिफ किया गया हो ओर कुल उमूरात अहम मुताल्लिका मुकद्मा का जवाब दे सके, या जिसके साथ कोई ओर शक्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाजिर हो और जवाबदेही दावा कि ओर हरगाह यह तारीख जो आपके इजहारो के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकद्मे को तजबीज हुई है, बस आपको लांजिम है कि उसी रोज आपने जुमला गवाहो को जिसकी शहादत पर नाज तमाम दस्तावेजों को जिन पर आप अपनी जवाबदेही को ताईद में इस्तेमाल करना चाहते हो। पेश करे बरोज मजकर आप हाजिर न होंगे ।तो मुकद्मा बगैर हाजिरी आपके मममूह और फैसला होगा।

नाम अदालत –
नम्बर मुकद्मा –
नाम फरीकैन –

दसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज तारीख।

माह सन् २०० ई० जारी किया गया।

इत्तिला

(१) अगर आपको यहा अन्देशा हो आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होंगे तो वो अदालत हाजा से सम्पन नई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराये जाये और दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आपका इस्तेहाक रखते है वह उससे पेश कराई जाये वज़र्ते अपना खर्चा जरूरी अदालत में दखिल करके इस अम्र को दरख्वास्त गुजराये।

(२) अगर आप मुतालबा मुद्दई को तस्लोम करते है तो आपको लाजिम है कि रूपया खर्चा नालिश करें ताकि कर्रावाई इजराय डिग्री को, जो आपकी जाद पर माल दोनों पर होए करना न पड़े।

(नमूना काविले करोक्त)

सम्मन वास्ते कारारवाद उमूर तनकही तलब

(आर्डर कायदा 1 व 5)

न्यायालय जिला

मुकद्मा वादी

प्रतिवादी

हरगाह के आपके नाम एक नलिश बाबत

के दायरे की है, कि लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख माह सन् २०० ई० बवक्त बजे दिन के असाचलन या मार्फत वकील के जो मुकद्मे के हलात से करार वकाई वाकिफ किया गया हो ओर कुल उमूरात अहम मुताल्लिका मुकद्मा का जवाब दे सके, या जिसके साथ कोई ओर शक्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाजिर हो और जवाबदेही दावा कि ओर हरगाह यह तारीख जो आपके इजहारो के लिए मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकद्मे को तजबीज हुई है, बस आपको लांजिम है कि उसी रोज आपने जुमला गवाहो को जिसकी शहादत पर नाज तमाम दस्तावेजों को जिन पर आप अपनी जवाबदेही को ताईद में इस्तेमाल करना चाहते हो। पेश करे बरोज मजकर आप हाजिर न होंगे ।तो मुकद्मा बगैर हाजिरी आपके मममूह और फैसला होगा।

नाम अदालत –
नम्बर मुकद्मा –
नाम फरीकैन –

दसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज तारीख।

माह सन् २०० ई० जारी किया गया।

इत्तिला

(१) अगर आपको यहा अन्देशा हो आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होंगे तो वो अदालत हाजा से सम्पन नई मुराद जारी करा सकते है कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराये जाये और दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आपका इस्तेहाक रखते है वह उससे पेश कराई जाये वज़र्ते अपना खर्चा जरूरी अदालत में दखिल करके इस अम्र को दरख्वास्त गुजराये।

(२) अगर आप मुतालबा मुद्दई को तस्लोम करते है तो आपको लाजिम है कि रूपया खर्चा नालिश करें ताकि कर्रावाई इजराय डिग्री को, जो आपकी जाद पर माल दोनों पर होए करना न पड़े।